


—::आदेश::—

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थीगण को न्यायालय के व्यादेश दिनांक 15.06.2022 की अवहेलना का दोषी मानते हुए उन्हें दण्डित कर अतिक्रमण को हटाये जाने आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




मनसुख राम डामोर (R.A.S)
उत्तरप्रखण्ड अधिवक्त्री
घाटौल